

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
कमांक :- ई-18/एम/(परिवीक्षा-III)/2018/ दिनांक :

आदेश

निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक को उनके परिवीक्षा अवधि सन्तोषप्रद पूर्ण करने के फलस्वरूप राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश कमांक एफ. 14(1)एफ.डी/(रूल्स)2013-II दिनांक 28.06.13 की अनुपालना में दो वर्ष की परिवीक्षाकाल पूर्ण तिथि से 8080 (5200-20200 रनिंग पै व ग्रेड पै 2400) से उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार वेतन नियतन करते हुये एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है।

क. स.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि	2 वर्ष पश्चात परिवीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि	टंकण परीक्षा उत्तीर्ण तिथि	कम्प्यूटर योग्यता आरएससी आईटी प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण तिथि
1	सुश्री रोसमेरी वर्गीस,	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, सवाईमाधोपुर।	23.09.2015	27.09.2017	25.01.2016	05.02.2016
2	श्री भूपेन्द्र सिंह	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सिरौही।	23.12.2014	23.12.2016	28.06.2017	23.11.2013

नोट:- क्र.सं. 1 पर अंकित कर्मचारी सुश्री रोसमेरी वर्गीस, कनिष्ठ सहायक का दिनांक 01.03.2017 से 09.03.2017 तक 9 दिवस एवं दिनांक 19.06.2017 से 13.07.2017 तक 25 दिवस का असाधारण अवकाश कुल 34 दिवस स्वीकृत किये जाने के कारण कर्मचारी को 2 वर्ष पश्चात पूर्ण करने की तिथि 23.09.2017 के स्थान पर दिनांक 27.09.2017 से स्वीकृत की जाती है व क्रम संख्या 2 पर अंकित श्री भूपेन्द्र सिंह को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण तिथि 28.06.2017 से वार्षिक वेतन वृद्धि का नकद लाभ देय होगा।

54
(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर
दिनांक : 13/04/18

कमांक :- ई-18/एम/(परिवीक्षा-III)/2018/906

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही/सवाईमाधोपुर।

2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सिरौही।

3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।

4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।

5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर